रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No D.L. 33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 1992/भाद्र 19, 1914
No. 371] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 1992/BHADRA 19, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(अन्वेषण प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1992

सा.का.नि. 761(अ) :—तेल क्षेत्र (विनिमय एवं विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5, 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 में और अधिक संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1992 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 में, नियम 32 के बाद निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :—

"32 क दंड :

(1) यदि पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस अथवा खनन पट्टे का धारक अथवा उसका अन्तरिती अथवा समनुदेशिती बिना किसी पर्याप्त कारण के सूचना अथवा विवरणिका नहीं दे पाता है अथवा नियम 14 के उप नियम (2), नियम 19 और नियम 24 का उल्लंघन करता है अथवा ड्रिलिंग की प्रक्रिया में किसी तेल कूप अथवा गैस कूप अथवा किसी खोदे गये होल अथवा इन्फार्मेशन कूप में दाखिल होने और उसका निरीक्षण करने के लिये नियम 32 में उपबंधित प्राधिकृत व्यक्ति को अनुमति नहीं देता तो उसे छः माह तक की कैद अथवा एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है ।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध व्यक्ति यदि ऐसा अपराध करना जारी रखता है तो वह प्रथम दोष सिद्धि की तारीख के बाद प्रत्येक दिवस के लिये दंडनीय होगा जिसके दौरान वह अपराध करना जारी रखता है जिसके लिये एक सौ रुपये तक का जुर्माना होगा ।"

[सं. ओ-11014/1/91-ओ.एग.जी. (डी-IV)]

नरेश दयाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 24 नवम्बर, 1959 की अधिसूचना सं. 1288 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनमें बाद में इस प्रकार संशोधन किया गया था :—

(1) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 371(ई) दिनांक 19-3-1966

(2) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 161(ई) दिनांक 3-2-1973

(3) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684(ई) दिनांक 5-5-1976

(4) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1457(ई) दिनांक 22-11-1979

(5) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 211(ई) दिनांक 26-3-1981

(6) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 867(ई) दिनांक 29-9-1987

(7) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 296(ई) दिनांक 17-4-1989

(8) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 108(ई) दिनांक 18-2-1991

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

(Exploration Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1992

G.S.R. 761(E).—In exercise of the powers conferred by sections 5, 6 read with section 9 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, after rule 32, the following rule shall be inserted, namely :—

"32 A Penalties :

(1) If the holder of a Petroleum Exploration Licence or Mining Lease or his transferee or assignee fails, without sufficient cause, to furnish the information or returns or acts in any manner in contravention of sub-rule (2) of rule 14, rule 19 and rule 24, or to allow any authorised person as provided in rule 32 to enter into and inspect any oil well or gas well or any drilled hole or information well in the process of drilling, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) Whoever, after having been convicted of any offence referred to in sub-rule (1), continues to commit such offence shall be punishable for each day after the date of the first conviction during which he continues so to offend, with fine which may extend to one hundred rupees."

[No. O-11014/1/91-ONG. D. IV]

NARESH DAYAL, Jt. Secy.

NOTE : The principal rules were published vide Notification No. 1288 dated 24th November, 1959, and subsequently amended by—

(i) Notification No. GSR 371(E) dated 19-3-1966

(ii) Notification No. GSR 161(E) dated 3-2-1973

(iii) Notification No. GSR 684(E) dated 5-5-1976

(iv) Notification No. GSR 1457(E) dated 22-11-1979

(v) Notification No. GSR 211(E) dated 26-3-1981

(vi) Notification No. GSR 867(E) dated 29-9-1987

(vii) Notification No. GSR 296(E) dated 17-4-1989

(viii) Notification No. GSR 108(E) dated 18-2-1991

Printed by the Managar, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992